

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

बांदा

❖ थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध सूखे गांजे की तस्करी करने वाले अभियुक्त को लगभग 04 लाख रुपये कीमत के अवैध गांजे के साथ किया गया गिरफ्तार ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री गवेन्द्र पाल गौतम के नेतृत्व में आज दिनांक 15.02.2024 को थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आर्य कन्या इण्टर कालेज ओवर ब्रिज के नीचे से एक अभियुक्त को लगभग 04 लाख रुपये कीमत के अवैध सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है । अभियुक्त के कब्जे से 20 किग्रा अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ है । जिसके सम्बन्ध में कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. हर्षित सिंह पुत्र मदन मोहन सिंह निवासी पैलानी थाना पैलानी जनपद बांदा ।

बरामदगी-

- 20 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 114/24 धारा 8/20 NDPS थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री अनूप कुमार दूबे प्र0निरी0 कोतवाली नगर
2. श्री राधा कृष्ण तिवारी प्रभारी सर्विलांस
3. उ0नि0 श्री विवेक कुमार त्रिपाठी चौकी प्रभारी बलखण्डीनाका
4. उ0नि0 श्री परवेज अहमद चौकी प्रभारी सिविल लाइन
5. कां0 रोहित कुमार
6. कां0 मनीष कुमार मिश्र